राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 2098/2016/आबकारी/प्रतापगढ़.

जहीन खान पुत्र शहजाद खान
निवासी नारायण रोड़, महीदपुर सिटी, उज्जैन (म.प्र.). .....प्रार्थी.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर.
2. जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ़. .....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :
श्री श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक
श्री जहीन खान, निगरानीकर्ता स्वयं .....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा, उप–राजकीय अभिभाषक
श्री गिरवर शर्मा, जिला आबकारी अधिकारी .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/12/2017

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के प्रकरण संख्या प. 29(बी)/अपील/09/आब/2016/246 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.07.2016 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9क(1)(ख) के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी निगरानीकर्ता को वर्ष 2014–15 के लिये देशी शराब की दुकान ग्राम मोहेड़ा जिला प्रतापगढ़ में आवंटित की हुई थी। उक्त दुकान का निरीक्षण दिनांक 29.10.2015 को आबकारी निरीक्षक वृत–प्रतापगढ़ द्वारा किये जाने पर मैक्डॉवल नं0 01 व्हिस्की के पव्वे पर अंकित निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करने के आरोप में आबकारी अधिनियम की धारा 58(सी) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग को विभाग द्वारा कथित रूप से संयोज्य करने का प्रार्थना–पत्र आबकारी निरीक्षक वृत–प्रतापगढ़ के माध्यम से प्रस्तुत करने पर जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा अनुज्ञाधारी का अभियोग संयोज्य करने का आदेश दिनांक 14.12.2015 को जारी किया गया, जिसमें संयोज्य राशि रूपये 50,000/– आरोपित की गयी। संयोज्य आदेश दिनांक 14.12.2015 के विरूद्ध आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील की जाने पर प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया था कि संयोज्य प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं क्योंकि प्रार्थी ने सदैव अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर किये हैं तथा यह भी कथन किया था कि पूर्व में भी इस तरह के प्रकरण उनके विरूद्ध बनाये जाकर उनके फर्जी हस्ताक्षरों से प्रार्थना–पत्रों के आधार पर

लगातार.....2

निर्णय पारित किये गये हैं। आबकारी आयुक्त के समक्ष हस्ताक्षर सम्बन्धी आपत्ति पर मूल पत्रावली मंगवाई जाकर हस्ताक्षर मिलाने का भी निवेदन किया गया था परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा संयोज्य प्रार्थना–पत्र को विवादित करने को अस्वीकार करते हुए संयोज्य प्रार्थना–पत्र में हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी श्री जहीन खान के मानते हुए संयोज्य आदेश के विरूद्ध अपील इस आधार पर अस्वीकार की गई कि इसमें विबन्धन का सिद्धान्त (estoppel) लागू होने से अपील दायर किये जाने की अधिकारिता नहीं है एवं इसी आधार पर अपील खारिज की गई। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी अनुज्ञाधारी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

4. प्रार्थी श्री जहीन खान स्वयं एवं उनके विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा आबकारी निरीक्षक एवं जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा निरन्तर परेशान किये जाने के व्यवहार के साथ जो अभियोग लगातार बनाये गये थे, उस सम्बन्ध में उनके द्वारा पूर्व में भी शिकायत राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की गई है एवं इस बार भी जो जांच की गयी थी वह भी उनके द्वारा राज्य सरकार में आबकारी अधिकारी के विरूद्ध लगातार शिकायत करने एवं उसी दिन दिनांक 29.10.2015 को भी आबकारी आयुक्त को जिला आबकारी अधिकारी के विरूद्ध अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की गयी थी और वह शिकायत दिन के 4:24 बजे ओनलाईन प्रस्तुत की गयी थी, जिसके साक्ष्य के रूप में पर्ची प्रस्तुत की एवं शिकायत में यह बताया कि जिला आबकारी अधिकारी अधिक माल उठाने का दबाव बनाते रहे हैं एवं इसके लिये गाली–गलौच का प्रयोग करते हैं एवं उनके विरूद्ध केस बनाकर फंसाने की धमकी भी दी गयी थी, उसकी प्रति भी प्रस्तुत की गई।

5. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा पूर्व में उन्हें धमकाने एवं अभियोग बनाने की धमकी के बीच उनके विरूद्ध शिकायत की जाने पर तुरन्त उसी दिन शाम को पुनः एक अभियोग बनाया गया तथा पुनः धमकी एवं गालियां दी गयी तथा एकतरफा एवं जहीन खान अनुज्ञाधारी के फर्जी हस्ताक्षरों से उनके बयान लिखे गये, जबकि जहीन खान द्वारा हिन्दी में हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं। इसी तरह उसके बाद पुनः जहीन खान के हिन्दी में फर्जी हस्ताक्षर करते हुए संयोज्य किये जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना बताया गया एवं संयोज्य आदेश पारित कर दिया गया जबकि उनके द्वारा कोई प्रार्थना–पत्र आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं इसी सन्दर्भ में अपील के सम्बन्ध में भी आबकारी आयुक्त को यह बताया गया कि उसके द्वारा संयोज्य का कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया है एवं उसके फर्जी हस्ताक्षरों से जो प्रकरण बनाया गया है वह फर्जी हस्ताक्षरों के कारण निरस्तनीय है। हस्ताक्षर के सम्बन्ध में बहस के दौरान आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज भी पेश किये जिसमें सदैव अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर किये गये हैं।

लगातार.....3

6. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि उनके द्वारा माल की बिक्री कभी भी एम. आर.पी. से अधिक रेट पर नहीं की गई एवं जो प्रकरण जांच के समय बनाया गया था उसमें भी दोनों गवाह, जो कि आबकारी निरोधक दल के कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे, उन्हें बनाया गया था एवं अपनी मनमानी से उनके बयान दर्ज किये गये एवं इसी तरह जहीन खान के भी बयान दर्ज कर उनकी स्वीकारोक्ति करवाते हुए बयान लिखे गये, जबकि उनके द्वारा इस जांच के दो घण्टे पूर्व ही उनके विरूद्ध शिकायत की हुई थी अतः व्यवहारिक रूप से भी यह सम्भव नहीं है कि शिकायत करने के साथ ही वह दो घण्टे में जांच करवाने पर उसकी स्वीकारोक्ति के रूप में बयान दिये जावें। इस तरह फर्जी रूप से लिये गये बयान से बनाया गया अभियोग अविधिक होने से संयोज्य आदेश को भी निरस्त करते हुए उनकी धरोहर राशि को भी लौटाये जाने के आदेश किये जावें, क्योंकि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से उनकी धरोहर राशि को रोका गया है।

7. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि संयोज्य आदेश पारित करने से पूर्व भी उन्हें किसी भी तरह का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं उनके विरूद्ध फर्जी हस्ताक्षर से जो आदेश पारित किया गया है उस सम्बन्ध में उन्हें बिना पर्याप्त नोटिस एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है वह भी निरस्तनीय है। अतः फर्जी हस्ताक्षरों से पारित किये गये संयोज्य आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया एवं आबकारी आयुक्त द्वारा इस आदेश को विबन्धन के सिद्धान्त के अनुसार यथावत रखने में गलती करना बताया क्योंकि उनके द्वारा जब संयोज्य का आवेदन नहीं दिया गया तब उसे संयोज्य माना जाना भी विधि के विरूद्ध है।

8. अन्त में विद्वान अभिभाषक ने वैकल्पिक रूप से यह कथन किया कि वे इस पूरे विवाद को समाप्त करने एवं अपनी धरोहर राशि प्राप्त करने हेतु एवं वाद को समाप्त करने हेतु अभियोग में जुर्माना राशि को कम करते हुए न्यूनतम राशि जमा कराने के भी आदेश दिये जावें तो उसके लिये भी वे सहमत हैं।

9. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने संयोज्य आदेश का समर्थन किया एवं विबन्धन का सिद्धान्त लागू करने सम्बन्धी आबकारी आयुक्त के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।

10. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

11. प्रकरण में यह सत्य है कि दिनांक 29.10.2015 को एवं उसके पूर्व भी अनुज्ञाधारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के विरूद्ध शिकायत की गयी थी एवं जिस दिन यह जांच की गयी थी उसके पूर्व में भी उसी दिन आबकारी अधिकारी के विरूद्ध शिकायत अबाकारी आयुक्त को

लगातार.....4

की गयी थी जो रेकॉर्ड से प्रमाणित है। आबकारी आयुक्त के आदेश से यह प्रतीत होता है कि आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलीय सुनवाई में इस मूल आपत्ति के सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया गया कि वास्तव में अनुज्ञाधारी द्वारा संयोज्य प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे या नहीं, जबकि अनुज्ञाधारी ने संयोज्य आवेदन को विवादित कर यह बार–बार निवेदन किया था कि उनके द्वारा कभी भी हिन्दी में हस्ताक्षर नहीं किये जाते, बल्कि उनके द्वारा प्रारम्भ से ही अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर किये जाते रहे हैं, जो उनके द्वारा अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन से भी प्रमाणित किये जा सकते थे, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं करते हुए उनके संयोज्य प्रार्थना–पत्र को प्रार्थी द्वारा ही प्रस्तुत करना मान लिया गया जो उचित नहीं कहा जा सकता।

12. आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में संयोज्य प्रार्थना–पत्र को प्रस्तुत नहीं करने का ही आधार दिया गया था जिस पर बिना कोई जांच किये ही, केवल विबन्धन का सिद्धान्त लागू किया गया है जबकि विवादित निर्णय में उक्त बिन्दु पर विशिष्ठ निर्णय किया जाना चाहिए था। यह भी उल्लेखनीय है कि संयोज्य आदेश के पूर्व भी सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। इस तरह योग्य आबकारी आयुक्त का आदेश परिपूर्ण नहीं है।

13. प्रकरण में बहस के दौरान प्रार्थी निगरानीकर्ता श्री जहीन खान एवं उनके अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव द्वारा यह अनुरोध किया कि उनके विरूद्ध अभियोग हालांकि विधिपूर्ण नहीं है, परन्तु समस्त विवाद एवं लिटिगेशन को समाप्त करने हेतु अभियोग में जुर्माना राशि कम कर निगरानी प्रकरण का निस्तारण किया जावे एवं धरोहर राशि को लौटाये जाने के आदेश दिये जावें।

14. आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9A(4) में आयुक्त आबकारी द्वारा अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा आदेश संशोधित (Revise) किये जा सकने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा बहस के समय Litigation समाप्त किये जाने के दृष्टिकोण से जुर्माना कम किये जाने के निवेदन के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए यह खण्डपीठ अधिनियम की धारा 9A(4) के अन्तर्गत विवादित आदेश में आरोपित जुर्माना राशि को कम किये जाने हेतु आदेश को रिवाईज किया जाना न्यायोचित मानती है।

15. प्रकरण के समस्त तथ्यों के प्रकाश में एवं संयोज्य आवेदन विवादित होने के कारण अभियोग में प्रार्थी के अनुरोध के मद्देनजर एम.आर.पी. से अधिक राशि पर विक्रय के अभियोग में आरोपित जुर्माना राशि को रूपये 50,000/– के स्थान पर रूपये 25,000/– करने का निर्णय लेते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रार्थी अनुज्ञाधारी द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि का रिफण्ड इस अभियोग के आधार पर नहीं रोके जाने के आदेश भी दिये जाते हैं।

16. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य